



उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पोस्ट—हिनु, रांची।

बोकारो, दिनांक/2024

विषय:-

मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 22.11.2023 के मद संख्या 25 में लिये गये निर्णय के आलोक में 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु बोकारो जिला के अंचल—नावाडीह, मौजा— भेणडरा, थाना नं०— 55 के खाता नं०— 146, प्लॉट नं०— 118, रकवा— 0.75 एकड गैरमजरुआ खास, किस्म परती गड्ढा भूमि को ऊर्जा मंत्रालय, झारखण्ड सरकार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।

आदेशः—स्वीकृति।

- इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग छः माह के अन्दर नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
- अन्य सभी शर्त “इस्टेट मैनुअल” में निहित प्रावधानों एवं समय—समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

४०।-

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक १७६।/रा०, दिनांक ०३/०९/२०२४

प्रतिलिपि:-

अनुमण्डल पदाधिकारी, वेरमो (तेनुघाट) को उनके कार्यालय पत्रांक 904/रा०, दिनांक 17.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं०— 13/24—25 को मूल में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः—मूल अभिलेख।

प्रतिलिपि:-

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

वरीय प्रबंधक(तकनीकि), विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अंचल अधिकारी, नावाडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५१
उपायुक्त,
बोकारो।